संख्या-559/2020/760/22-2-2020-17(304)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 18 दिसम्बर, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी योगेश कुमार पुत्र श्री दयाराम प्रजापति, निवासी जनपद-मैनपुरी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16933/प्रोवेशन-3/फार्म-ए(एम-05.06.2020) दिनांक-03.07.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी योगेश कुमार पुत्र श्री दयाराम प्रजापति, न्यू अग्रवाल दक्षिण पट्टी, थाना-कोतवाली, जनपद-मैनपुरी का निवासी है। बंदी ने दिनांक 20/21.11.2002 को पत्नी द्वारा प्लाट का बैनामा न करने के कारण अपनी पत्नी व 05 बच्चों को आग से जलाकर कुल 06 लोगों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-74/2003 में भा0द0वि0 की धारा-436, 302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक नं0-03, मैनपुरी के आदेश दिनांक 08.08.2008 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 11.12.2009 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 22.05.2020 तक 17 वर्ष 05 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 11 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 24.08.2019 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी के शारीरिक एवं मानसिक स्थिति सामान्य होने, समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही पाये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, बंदी पूर्व में अपने बीबी बच्चों को मार चुका है तथा एक पुत्री बच गयी, उसके साथ भी घटना करने की प्रबल संभावना होने, बंदी के रिहा होने पर पुत्री ममता जो उस समय घटना स्थल पर मौजूद नहीं थी, के साथ अपराध जैसी पुन: घटना कर सकता है, इसलिये शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जेल में निरूद्ध रखना आवश्यक है, की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 20/21.11.2002 को पत्नी द्वारा प्लाट का बैनामा न करने के कारण पत्नी व 05 बच्चों सहित 06 लोगों की आग से जलाकर हत्या करने का क्रूर व जघन्यतम घृणित अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी पूर्व में अपनी बीबी बच्चों को मार चुका है तथा एक पुत्री बच गयी, उसके साथ भी घटना करने की प्रबल संभावना होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी योगेश कुमार पुत्र श्री दयाराम प्रजापति को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति** नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी योगेश कुमार (बन्दी संख्या-23543) पुत्र श्री दयाराम प्रजापति, निवासी जनपद-मैनपुरी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-559/2020/**760**(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-559/2020/760/22-2-2020-17(304)/2020

दिनांक 18 दिसम्बर, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी योगेश कुमार पुत्र श्री दयाराम प्रजापति, न्यू अग्रवाल दक्षिण पट्टी, थाना-कोतवाली, जनपद-मैनपुरी का निवासी है। बंदी ने दिनांक 20/21.11.2002 को पत्नी द्वारा प्लाट का बैनामा न करने के कारण अपनी पत्नी व 05 बच्चों को आग से जलाकर कुल 06 लोगों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-74/2003 में भा0द0वि0 की धारा-436, 302 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक नं0-03, मैनपुरी के आदेश दिनांक 08.08.2008 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 11.12.2009 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 22.05.2020 तक 17 वर्ष 05 माह 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 11 माह 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 24.08.2019 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी के शारीरिक एवं मानसिक स्थिति सामान्य होने, समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही पाये जाने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, बंदी पूर्व में अपने बीबी बच्चों को मार चुका है तथा एक पुत्री बच गयी, उसके साथ भी घटना करने की प्रबल संभावना होने, बंदी के रिहा होने पर पुत्री ममता जो उस समय घटना स्थल पर मौजूद नहीं थी, के साथ अपराध जैसी पुन: घटना कर सकता है, इसलिये शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए जेल में निरूद्ध रखना आवश्यक है, की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 20/21.11.2002 को पत्नी द्वारा प्लाट का बैनामा न करने के कारण पत्नी व 05 बच्चों सहित 06 लोगों की आग से जलाकर हत्या करने का क्रूर व जघन्यतम घृणित अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी पूर्व में अपनी बीबी बच्चों को मार चुका है तथा एक पुत्री बच गयी, उसके साथ भी घटना करने की प्रबल संभावना होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी योगेश कुमार पुत्र श्री दयाराम प्रजापति को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति** नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in